9.7.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से
लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया बाद निर्णय प्रति पृथक से
तहसीलदार अलवर को भिजवाई
जाकर बाद तकमील पत्रावली
मजमूये कम से दाखिल दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी —श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3 / 12	17.04.2025	9.07.2025

1:—सरिस्का वैलनैस प्रा० लि० एमजीबी टावर, मनुमार्ग अलवर जरिये अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता योगेश चन्द गुप्ता

— प्रार्थी

बनाम

1:—तहसीलदार भू० अ० अलवर राज.

अप्रार्थीगण

राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 111, 128
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम पेश किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069—2074 खाता संख्या नया 22 व पुराना 20 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1565 रकवा 1.15 हैक्टर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.15 वाके ग्राम बास साहोडी, तहसील व जिला अलवर राजस्थान है उक्त आराजी विवादित है तथा आगामी चरणो में विवादित आराजी से सम्बोधित की जा रही है। ताईद में नकल जमाबन्दी संलग्न कर दस्तावेजी साक्ष्य में पेश की जा रही है विवादित आराजी मुतनाजा में मिन प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का है तथा मिन प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर काबिज दाखिल रहकर काश्त करती चली आ रही है विवादित आराजी के सीमान्त कृषक मिन प्रार्थी की आराजी की सीमा व डोल तोडकर आराजी को अपनी आराजी में मिलाकर ज्यादा रकबे पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 में साफ तौर पर परिभाषित किया हुआ है कि खातेदार की भूमि का सीमाज्ञान खातेदार करवा सकता है। विवादित आराजी के सीमान्त कृषक मिन प्रार्थी की उक्त विवादित कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में से जबरन कब्जा करना चाहते है इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष अपनी आराजी हिस्से रकबे की पैमाईश करने हेतू एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2024 को पेश किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने मिन प्रार्थी के आराजी हिस्से रकबे की पैमाईश, पत्थरगढी व सीमाज्ञान आज दिन तक नही कराया है मिन प्रार्थी अपनी आराजी रकबे की पैमाईश, पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिए नियमानुसार फीस जमा कराने के लिए तैयार रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के आराजी रकबे की पैमाईश, पत्थरगढी व सीमाज्ञान नहीं किये जाने से मिन प्रार्थी के पास यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश करने के लिए अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र के बावजुद भी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अंतिम बार दिनांक 24.03.2025 को प्रार्थी की आराजी की पैमाईश, पत्थरगढी व सीमाज्ञान करने से मना कर दिया। जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश किये जाने हेतू वाद हेतूक है वादग्रस्त आराजी ग्राम बास साहोडी, तहसील व जिला अलवर राजस्थान में वाके है। कि जिससे उक्त वाद पत्र को सुनने का न्यायक्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मंजुर कर अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 खाता संख्या नया 22 व पुराना 20 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1565 रकबा 1.15 हैक्टर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.15 वाके ग्राम बास साहोडी, तहसील व जिला अलवर राजस्थान की पैमाईश, पत्थरगढी व सीमाज्ञान कराई जाकर प्रार्थीनी को वादग्रस्त आराजी में अपने सालिम हिस्से की सुरक्षा हेतू तारबंदी, दीवार, पत्थरगढी करने हेतू पुलिस इमदाद प्रदान की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर को नोटिस तामील उपरान्त रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2025/2821 दिनॉक 06–5–2025 मे अवगत कराया गया कि मुताबिक वर्तमान आनलाईन जमाबन्दी खाता स0 22 मे उक्त आराजी सरिस्का वेलनेस प्रा0 लि0 हिस्सा पूर्ण नि0 हरबक्श का मौहल्ला अलवर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त आराजी मे किसी भी न्यायालय का वाद/स्थगन आदेश प्रभावी नही है उक्त आराजी का दिनॉक 27–5–2024 को राजस्व टीम द्वारा पूर्व मे सीमाज्ञान किया जा चुका है उक्त आराजी खसरा नम्बर के तीन पक्की बाउन्ड्रीवाल व तर्फ पश्चिम की 2/3 हिस्से मे पक्की बाउंड्रीवाल मोके पर मोजूद है मौके पर उक्त आराजी कृषि कार्य के प्रयोग मे आ रही है उक्त खसरा नम्बर 1565/1.15 मे पूर्व मे की सीमाज्ञान के दौरान पश्चिम दिशा की मेड से लगते हुये खसरा नम्बर 1564 के खातेदार गफरूदीन जाकिर पुत्रान हिम्मत निवासी माचडी द्वारा विवाद होना पाया गया प्रार्थी पश्चिम दिशा की मेड पर पक्की दीवार करने का अनुतोष चाहता है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 खाता संख्या नया 22 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1565 रकबा 1.15 हैक्टर, कुल किता 01 कुल व पुराना रकबा 1.15 वाके ग्राम बास साहोडी, तहसील व जिला अलवर की पत्थरगढी कराना चाहता है आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश एंव कोई वाद विचाराधीन नही है प्रार्थी पैमाईश और पत्थरगढी कराना चाहता है जिसके क्रम मे नवीन आवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया ओर बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव नकलात सीमाज्ञान मौका पर्चा दिनॉक 27–5–2024 से जाहिर आया कि प्रार्थी पूर्व मे दिनॉक 27–5–2024 को सीमाज्ञान से प्रार्थी सन्तुष्ट नही है जब ही नवीन प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर को 29.10.2024 सीमाज्ञान बावत लगाया गया है वर्तमान पत्रावली पर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार अलवर से ज्ञात्वय है कि आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अलवर का आदेशित किया जाता है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 खाता संख्या नया 22 व पुराना 20 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1565 रकबा 1.15 हैक्टर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.15 वाके ग्राम बास साहोडी, तहसील व जिला अलवर का सम्बंधित/प्रभावित खातेदारान की उपस्थिति मे नवीन सिरे से सीमाज्ञान करावे तदपश्चात पत्थरगढी कराया जाना सुनिश्चित करावे तहसीलदार अलवर को निर्णय प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 09–07–25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर